



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27102022-239864
CG-DL-W-27102022-239864

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, अक्टूबर 16—अक्टूबर 22, 2022, शनिवार/ आश्विन 24—आश्विन 30, 1944
No. 38] NEW DELHI, OCTOBER 16—OCTOBER 22, 2022, SATURDAY/ASVINA 24—ASVINA 30, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 155.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013, के अधिक्रमण में, जहां तक उनका संबंध कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), कांस्टेबल (बैड) और कांस्टेबल (मोटर यातायात) के पदों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी शिलोंग में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), कांस्टेबल (बैड) और कांस्टेबल (मोटर यातायात) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी शिलोंग में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), कांस्टेबल (बैंड) और कांस्टेबल (मोटर यातायात) समूह 'ग' भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम इससे उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता.**— ऐसा कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका जीवन साथी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते केंद्र सरकार, अगर संतुष्ट हो कि इस तरह के विवाह को ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के तहत अनुमति है, और ऐसा करने के लिए आधार मौजूद हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दी जा सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह आदेश द्वारा, और इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में कुछ भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदत्त आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)	75*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपए)।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।

(6)

18 से 27 वर्ष के बीच।

(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट है)।

टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) शैक्षणिक अर्हता: - किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ख) शारीरिक समर्थता निम्नानुसार, अर्थात:- (1) लम्बाई (सेमी में) - (क) सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, (i) पुरुष - 170 (ii) महिला- 157 (ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (नीचे (ग) में उल्लिखित को छोड़कर) के लिए न्यूनतम लंबाई। (i) पुरुष - 162.5 (ii) महिला- 150 (ग) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों या नक्सल या वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, - (i) पुरुष- 160 (ii) महिला- 147.5 (घ) गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवारों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, -	लागू नहीं	दो वर्ष

(i) पुरुष- 165 (ii) महिला- 155 (ड) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, - (i) पुरुष- 162.5 (ii) महिला- 152.5 (च) दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग के तीन सब डिविजन वाले गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई और जिसमें इन जिलों के निम्नलिखित 'मौज़ा' सब डिविजन सम्मिलित हैं, अर्थात्- 1. लोहागढ़ चाय बागान 2. लोहागढ़ फॉरेस्ट 3. रंगमोहन 4. बाराचेंगा 5. पानीघाटा 6. छोटा अदलपुर 7. पहारू 8. सुकना फॉरेस्ट 9. सुकना पार्ट-I 10. पंटापती फॉरेस्ट-I 11. महानदी फॉरेस्ट 12. चंपासारी फॉरेस्ट 13. सालबारी छत पार्ट-II 14. सितोंग फॉरेस्ट 15. सिवोक हिल फॉरेस्ट 16. सिवोक फॉरेस्ट 17. छोटा चेंगा 18. निपानिया - (i) पुरुष- 157 (ii) महिला- 152.5 2. छाती: (से.मी. में: बिना फुलाए/कम से कम फुलाकर) (क) सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती, - (i) पुरुष - 80/5 (ii) महिला- लागू नहीं होता। (ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती, - (i) पुरुष - 76/5 (ii) महिला- लागू नहीं होता। (ग) गढ़वाली, कुमाऊंजी, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती, - (i) पुरुष - 78/5 (ii) महिला- लागू नहीं होता।		
--	--	--

(घ) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल या वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग के तीन सब डिविजन वाले गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती और जिसमें इन जिलों के निम्नलिखित 'मौज़ा' सब डिविजन सम्मिलित हैं, अर्थात्- 1. लोहागढ़ चाय बागान 2. लोहागढ़ फॉरेस्ट 3. रंगमोहन 4. बाराचेंगा 5. पानीघाटा 6. छोटा अदलपुर 7. पहारू 8. सुकना फॉरेस्ट 9. सुकना पार्ट-I 10. पंटापती फॉरेस्ट-I 11. महानदी फॉरेस्ट 12. चंपासारी फॉरेस्ट 13. सालबारी छत पार्ट-II 14. सितोंग फॉरेस्ट 15. सिवोक हिल फॉरेस्ट 16. सिवोक फॉरेस्ट 17. छोटा चेंगा 18. निपानिया - (i) पुरुष - 77/5 (ii) महिला- लागू नहीं होता। 3. वजन: सभी अभ्यर्थियों का वजन चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में होगा।		
--	--	--

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हो और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
(i) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत। (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी,- (क) नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करना; (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने वाले। टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:-	लागू नहीं होता।
(1) संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग - अध्यक्ष	
(2) उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग - सदस्य	
(3) सहायक निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. कांस्टेबल (बैंड)	12* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट है)। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित अंतिम तारीख।

(7)	(8)	(9)
(क) शैक्षणिक अर्हता: - किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और बेगुइल या साइड ड्रम जैसे संगीत वाद्ययंत्र बजाने का अनुभव हो। (ख) शारीरिक समर्थता निम्नानुसार, अर्थात: - (1) लम्बाई (सेमी में) - (क) सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, (i) पुरुष - 170 (ii) महिला- 157	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (नीचे (ग) में उल्लिखित को छोड़कर) के लिए न्यूनतम लंबाई।

(i) पुरुष - 162.5

(ii) महिला- 150

(ग) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों या नक्सल या वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, -

(i) पुरुष- 160

(ii) महिला- 147.5

(घ) गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवारों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, -

(i) पुरुष- 165

(ii) महिला- 155

(ङ) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, -

(i) पुरुष- 162.5

(ii) महिला- 152.5

(च) दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग के तीन सब डिविजन वाले गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई और जिसमें इन जिलों के निम्नलिखित 'मौज़ा' सब डिविजन शामिल हैं, अर्थात्-

1. लोहागढ़ चाय बागान 2. लोहागढ़ फॉरेस्ट 3. रंगमोहन 4. बाराचेंगा 5. पानीघाटा 6. छोटा अदलपुर 7. पहारू 8. सुकना फॉरेस्ट 9. सुकना पार्ट -I 10. पंटापती फॉरेस्ट-I 11. महानदी फॉरेस्ट 12. चंपासारी फॉरेस्ट 13. सालबारी छत पार्ट -II 14. सितोंग फॉरेस्ट 15. सिवोक हिल फॉरेस्ट 16. सिवोक फॉरेस्ट 17. छोटा चेंगा 18. निपानिया -

(i) पुरुष- 157

(ii) महिला- 152.5

2.छाती: (से.मी. में: बिना फुलाए/कम से कम फुलाकर)

(क) सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती, -

(i) पुरुष - 80/5

(ii) महिला- लागू नहीं होता।

(ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती, -

(i) पुरुष - 76/5

(ii) महिला- लागू नहीं होता। (ग) गढ़वाली, कुमाऊं, डोंगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती, - (i) पुरुष - 78/5 (ii) महिला- लागू नहीं होता। (घ) दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग के तीन सब डिविजन वाले गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती और जिसमें इन जिलों के निम्नलिखित 'मौज़ा' सब डिविजन सम्मिलित हैं, अर्थात्- 1. लोहागढ़ चाय बागान 2. लोहागढ़ फॉरेस्ट 3. रंगमोहन 4. बाराचेंगा 5. पानीघाटा 6. छोटा अदलपुर 7. पहारू 8. सुकना फॉरेस्ट 9. सुकना पार्ट-I 10. पंटापती फॉरेस्ट-I 11. महानदी फॉरेस्ट 12. चंपासारी फॉरेस्ट 13. सालबारी छत पार्ट-II 14. सितोंग फॉरेस्ट 15. सिवोक हिल फॉरेस्ट 16. सिवोक फॉरेस्ट 17. छोटा चेंगा 18. निपानिया - (i) पुरुष - 77/5 (ii) महिला- लागू नहीं होता। 3. वजन: सभी अभ्यर्थियों का वजन चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में होगा।		
--	--	--

(10)	(11)
(i) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत । (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी,- (क) नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करना;. (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने वाले । टिप्पण 1.-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- (1) संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

(2) उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग	- सदस्य	
(3) सहायक निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग	-सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कांस्टेबल (मोटर यातायात)	14* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट है)। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)
(क) आवश्यक अर्हता:- (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी हल्के या भारी वाहनों के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति होना। (ii) तीन वर्ष का ड्राइविंग अनुभव और (iii) मोटर मैन्युअल का अच्छा ज्ञान। (ख) शारीरिक समर्थता निम्नानुसार, अर्थात: - (1) लंबाई (सेमी में) - (क) सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, - (i) पुरुष - 170 (ii) महिला - 157 (ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (नीचे (ग) में उल्लिखित को छोड़कर) के लिए न्यूनतम लंबाई, - (i) पुरुष - 162.5	लागू नहीं	दो वर्ष

(iii) महिला - 150 (ग) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल या वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - (i) पुरुष- 160 (ii) महिला- 147.5 (घ) गढ़वाली, कुमाउंती, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई- (i) पुरुष - 165 (ii) महिला - 155 (ङ.) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई - (i) पुरुष - 162.5 (ii) महिला - 152.5 (च) दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग के तीन सब डिविजन वाले गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई और जिसमें इन जिलों के निम्नलिखित 'मौज़ा' सब डिविजन सम्मिलित हैं, अर्थात्- 1. लोहागढ़ चाय बागान 2. लोहागढ़ फॉरेस्ट 3. रंगमोहन 4. बाराचेंगा 5. पानीघाटा 6. छोटा अदलपुर 7. पहारू 8. सुकना फॉरेस्ट 9. सुकना पार्ट-I 10. पंटापती फॉरेस्ट-II 11. महानदी फॉरेस्ट 12. चंपासारी फॉरेस्ट 13. सालबारी छत पार्ट-II 14. सितोंग फॉरेस्ट 15. सिवोक हिल फॉरेस्ट 16. सिवोक फॉरेस्ट 17. छोटा चेंगा 18. निपानिया - (i) पुरुष - 157 (ii) महिला - 152.5 2. छाती: (सेंटीमीटर में: बिना फुलाए/ कम से कम फुलाकर) (क) सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती - (i) पुरुष - 80/5 (ii) महिला - लागू नहीं होता। (ख) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती,- (i) पुरुष - 76/5 (ii) महिला - लागू नहीं होता। (ग) गढ़वाली, कुमाउंती, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों		
--	--	--

और असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती,- (i) पुरुष - 78/5 (ii) महिला - लागू नहीं होता। (घ) दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग के तीन सब डिविजन वाले गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती और जिसमें इन जिलों के निम्नलिखित 'मौज़ा' सब डिविजन सम्मिलित हैं, अर्थात्- 1. लोहागढ़ चाय बागान 2. लोहागढ़ फॉरेस्ट 3. रंगमोहन 4. बाराचेंगा 5. पानीघाटा 6. छोटा अदलपुर 7. पहारू 8. सुकना फॉरेस्ट 9. सुकना पार्ट-I 10. पंटापती फॉरेस्ट- I 11. महानदी फॉरेस्ट 12. चंपासारी फॉरेस्ट 13. सालबारी छत पार्ट-II 14. सितोंग फॉरेस्ट 15. सिबोक हिल फॉरेस्ट 16. सिबोक फॉरेस्ट 17. छोटा चेंगा 18. निपानिया,- (i) पुरुष - 77/5 (ii) महिला - लागू नहीं होता। 3. वजन: सभी अभ्यर्थियों का वजन चिकित्सा मानको के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में होगा।		
---	--	--

(10)	(11)
(i) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी जो, - (क) नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करना; (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने वाले। टिप्पण 1.-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- (1) संयुक्त निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग - अध्यक्ष (2) उप निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(3) सहायक निदेशक, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, शिलोंग -सदस्य।	
---	--

[फा. सं. 23011/37/2021-पुलिस प्रशिक्षण]

रमन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th October, 2022

G.S.R. 155.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Police Academy, Barapani(Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Constable (General Duty), Constable (Band) and Constable (Motor Transport), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (General Duty), Constable (Band) and Constable (Motor Transport) in the North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, North Eastern Police Academy, Barapani, Shillong, Constable (General Duty), Constable (Band) and Constable (Motor Transport) Group 'C' Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Constable (General Duty)	75*(2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix	Not applicable

Age-limit for direct recruits.
(6)
Between 18 to 27 years.
(The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).
Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island, the Union territory of Lakshadweep and the Union territory of Ladakh.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(A) Educational qualification:-Matriculation or 10thClass pass from a recognised Board. (B) Physical fitness as under namely:- (1) Height (in Cms.)- (a) minimum height for the candidates belonging to General, Schedule Caste and Other Backward Class, (i) Male – 170 (ii) Female- 157 (b) minimum height for the candidates belonging to the Scheduled Tribes (except those mentioned in (c) below. (i) Male – 162.5 (ii) Female- 150 (c) minimum height for the candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and Naxal or Left wing Extremism affected Districts,- (i) Male- 160 (ii) Female- 147.5 (d) minimum height for the candidates falling in the categories of Garwhalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu and Kashmir,- (i) Male- 165 (ii) Female- 155 (e) minimum height for the candidates hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura,- (i) Male- 162.5 (ii) Female- 152.5	Not applicable	Two Years

(f) minimum height for the candidates hailing from Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Division of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Divisions of these Districts, namely:- (1) Lohargarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna forest (9) Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) Salbari Chhatpart-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania,- (i) Male- 157 (ii) Female- 152.5 2. Chest: (In Cms: unexpanded/minimum expansion) (a) minimum chest for the candidates belonging to the General, Schedule Caste and Other Backward Class candidates,- (i) Male - 80/5 (ii) Female- Not applicable (b) minimum chest for the candidates belonging to the Scheduled Tribes,- (i) Male - 76/5 (ii) Female- Not applicable (c) minimum chest for the candidates falling in the categories of Grawhalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu and Kashmir,- (i) Male - 78/5 (ii) Female- Not applicable (d) minimum chest for the candidates hailing from the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and Naxal or Left wing Extremism affected Districts, Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Division of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Divisions of these Districts, namely:- (1) Lohargarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna forest (9) Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) Salbari Chhatpart-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania,- (i) Male - 77/5 (ii) Female- Not applicable 3. Weight: Weight of all the candidates shall be proportionate to height and age as per medical standards.		
---	--	--

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
(i) 80 percent by direct recruitment; (ii) 20 percent by deputation failing which by direct recruitment.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory, - (a) holding analogous posts on regular basis; (b) possessing the essential educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1. -The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. - The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the last date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Chairperson (2) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Member (3) Assistant Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Constable (Band)	12* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix	Not applicable

(6)
Between 18 to 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island, the Union territory of Lakshadweep and the Union territory of Ladakh.

(7)	(8)	(9)
(A) Educational qualification:- Matriculation or 10th Class pass from a recognised Board and possessing experience of playing musical instruments such as Beguile or Side Drum. (B) Physical fitness as under, namely:- (1) Height (in Cms)- (a) minimum height for the candidates belonging to the General, Schedule Caste and Other Backward Class:- (i) Male – 170 (ii) Female- 157 (b) minimum height for the candidates belonging to the Scheduled Tribes except those mentioned in (c) below,- (i) Male – 162.5 (ii) Female- 150 (c) minimum height for the candidate belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and Naxal or Left wing Extremism affected Districts,- (i) Male- 160 (ii) Female- 147.5 (d) minimum height for the candidates falling in the categories of Garwhalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu and Kashmir,- (i) Male- 165 (ii) Female- 155 (e) minimum height for the candidates hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura,- (i) Male- 162.5 (ii) Female- 152.5 (f) minimum height for the candidates hailing from Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Division of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Divisions of these Districts, namely:- (1) Lohargarh Tea Garden (2) Lohargarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna forest (9) Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) Salbari Chhatpart-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania,- (i) Male- 157 (ii) Female- 152.5 2. Chest: in (Cms : unexpanded/ minimum expansion) (a) minimum chest for the candidates belonging to the General, Schedule Caste and Other Backward Class candidates (i) Male - 80/5 (ii) Female- Not applicable	Not applicable	Two Years

(b) minimum chest for the candidates belonging to the Schedule Tribes; (i) Male - 76/5 (ii) Female- Not applicable (c) minimum chest for the candidates falling in the categories of Grawhalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu and Kashmir,- (i) Male - 78/5 (ii) Female- Not applicable (d) minimum height for the candidates hailing from GorkhaTerritorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Division of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Divisions of these Districts, namely:- (1) Lohargarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) ChotaAdalpur (7) Paharu (8) Sukna forest (9) Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) SalbariChhatpart-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) ChhotaChenga (18) Nipania,- (i) Male - 77/5 (ii) Female- Not applicable 3. Weight: Weight of all the candidates shall be proportionate to height and age as per medical standards.		
---	--	--

(10)	(11)
(i) 80 percent by direct recruitment; (ii) 20 percent by deputation failing which by direct recruitment.	Deputation:Officers of the Central Government or State Government or Union territory, - (a) holding analogous posts on regular basis;. (b) possessing the essential educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1.-The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the last date of receipt of application.

(12)	(13)
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Chairperson (2) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Member (3) Assistant Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (Motor Transport)	14* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix	Not applicable

(6)
Between 18 to 27 years.
(The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).
Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island, the Union territory of Lakshadweep and the Union territory of Ladakh.

(7)	(8)	(9)
(A) Essential qualification:- (i) matriculation or 10 th Class pass from a recognised Board and possessing valid driving licence for light or heavy vehicles issued by the Transport authority. (ii) three years driving experience and (iii) fair knowledge in Motor Mechanism. (B) Physical fitness as under, namely:- (1) Height (in Cms)- (a) minimum height for the candidates belonging to the General, Schedule Caste and Other Backward Class,- (i) Male – 170 (ii) Female- 157 (b) minimum height for the candidates belonging to the Scheduled Tribes except those mentioned in (c) below,- (i) Male – 162.5 (ii) Female- 150 (c) minimum height for the candidate belonging to the Schedule Tribes failing from the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and Naxal or Left wing Extremism affected Districts,- (i) Male- 160 (ii) Female- 147.5 (d) minimum height for the candidates falling in the categories of Garwhalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu and Kashmir,- (i) Male- 165	Not applicable	Two Years

(ii) Female- 155 (e) minimum height for the candidates hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura,- (i) Male- 162.5 (ii) Female- 152.5 (f) minimum height for the candidates hailing from GorkhaTerritorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Division of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Divisions of these Districts, namely:- (1) Lohargarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) ChotaAdalpur (7) Paharu (8) Sukna forest (9) Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) SalbariChhatpart-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) ChhotaChenga (18) Nipania,- (i) Male- 157 (ii) Female- 152.5 2. Chest: (In Cms: unexpanded/ minimum expansion) (a) minimum chest for the candidates belonging to the General, Schedule Caste and Other Backward Class candidates,- (i) Male - 80/5 (ii) Female- Not applicable (b) minimum chest for the candidates belonging to Schedule Tribes,- (i) Male - 76/5 (ii) Female- Not applicable (c) minimum chest for the candidates falling in the categories of Grawhalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu and Kashmir,- (i) Male - 78/5 (ii) Female- Not applicable (d) minimum height for the candidates hailing from GorkhaTerritorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Division of Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Divisions of these Districts, namely: - (1) Lohargarh Tea Garden (2) Lohagarh Forest (3) Rangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) ChotaAdalpur (7)Paharu (8) Sukna forest (9) Sukna Part-I (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) SalbariChhatpart-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill Forest (16) Sivoke Forest (17) ChhotaChenga (18) Nipania,- (i) Male - 77/5 (ii) Female- Not applicable		
---	--	--

3. Weight: Weight of all the candidates shall be proportionate to height and age as per medical standards.		
--	--	--

(10)	(11)
(i) 80 percent by direct recruitment; (ii) 20 percent by deputation failing which by direct recruitment.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory, - (a) holding analogous posts on regular basis; (b) possessing the essential educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). Note 1.-The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the last date of receipt of application.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Chairperson (2) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong – Member (3) Assistant Director, North Eastern Police Academy, Shillong -Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/37/2021-PT]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में, नियम 10 में, उप-नियम (7) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात -

"परंतु उप-नियम (2) के अधीन मानित निलंबन की दशा में निलंबन का ऐसा कोई पुनर्विलोकन आवश्यक नहीं होगा, यदि सरकारी सेवक का निरुद्ध रहना जारी रहता है और ऐसी दशा में नब्बे दिनों की अवधि की संगणना उस तारीख

से की जाएगी जिसको अभिरक्षा में निरुद्ध सरकारी सेवक को निरोध से निर्मुक्त कर दिया जाता है या जिस तारीख को निरोध से उसकी निर्मुक्ति के तथ्य की सूचना उसके नियुक्ति प्राधिकारी को दी जाती है, जो भी पश्चातवर्ती हो:

परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहाँ इन नियमों के अधीन कोई आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया है, यथास्थिति निलंबन या मानित निलंबन, जिसके अंतर्गत उपनियम (6) के निबंधनों के अनुसार कोई विस्तारित अवधि भी है, के अधीन कुल अवधि निम्न से अधिक नहीं होगी –

- (क) यदि सरकारी सेवक को उपनियम (1) के खंड (क) के निबंधनों के अनुसार निलंबित रखा गया है, तो निलंबन आदेश की तारीख से दो सौ सत्तर दिन; या
- (ख) यदि सरकारी सेवक को उपनियम (1) के यथास्थिति खंड (कक) या खंड (ख), के निबंधनों के अनुसार निलंबित रखा गया है तो निलंबन आदेश की तारीख से दो वर्ष; या
- (ग) उप-नियम (2) के अधीन मानित निलंबन की दशा में उस तारीख से जिसको अभिरक्षा में निरुद्ध सरकारी सेवक निर्मुक्त होता है या उस तारीख से जिसको निरोध से उसकी निर्मुक्ति के तथ्य की सूचना उसके नियुक्ति प्राधिकारी को दी जाती है, जो भी पश्चातवर्ती हो, दो वर्ष।”

[फा. सं. 11012/04/2016-स्था.क-III]

मनोज कुमार द्विवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना का.आ.सं. 3703, तारीख 20 नवम्बर, 1965 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 125 (अ), तारीख 18 फरवरी, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 19th October, 2022

G.S.R. 156.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely: –

1. **Short title and commencement:** – (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in rule 10, in sub-rule (7), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely: –

“Provided that no such review of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under sub-rule (2), if the Government servant continues to be under detention and in such case the ninety days’ period shall be computed from the date the Government servant detained in custody is released from detention or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later:

Provided further that in a case where no charge sheet is issued under these rules, the total period under suspension or deemed suspension, as the case may be, including any extended period in terms of sub-rule (6) shall not exceed,—

- (a) two hundred seventy days from the date of order of suspension, if the Government servant is placed under suspension in terms of clause (a) of sub-rule (1); or
- (b) two years from the date of order of suspension, if the Government servant is placed under suspension in terms of clause (aa) or clause (b) of sub-rule (1) as the case may be; or
- (c) two years from the date the Government servant detained in custody is released or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later, in the case of deemed suspension under sub-rule (2).”.

[F. No. 11012/04/2016-Estt.A-III]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 3703, dated the 20th November, 1965 and last amended vide notification number G.S.R. 125 (E) dated the 18th February, 2021 published in the Gazette of India.